



क्रमांक 397/प्रशा./2020

भोपाल दिनांक 16/03/2020

:: आदेश ::

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 249/68/सीसी/38/20 भोपाल, दिनांक 13.03.2020 द्वारा नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) के संक्रमण के बचाव के संबंध में दिये गये निर्देशों के परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 53/प्रशा./आर./20 दिनांक 14.03.2020 के द्वारा नितिगत निर्देश जारी किये गये हैं। इसी अनुक्रम में आज दिनांक 16.03.2020 को विश्वविद्यालय के समस्त (पुरुष/महिला) छात्रावासों के चीफ वार्डनों/वार्डनों एवं अन्य अधिकारियों की बैठक में कोरोना वाइरस के फैलते संक्रमण को रोकने के लिये आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव छात्रावासों को रिक्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

इन अनुशंसाओं के दृष्टिगत, समस्त छात्रावासों (पुरुष/महिला) में निवासरत छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अपने-अपने छात्रवास आगामी आदेश होने तक के लिये तीन दिवस के अंदर रिक्त करें। अन्यथा कि स्थिति में छात्र/छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे।

आदेशानुसार

(डॉ. बी. भारती)  
कुलसचिव

पृ० क्रमांक 398/प्रशा./2020  
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 16/03/2020

1. समस्त चीफ वार्डन (पुरुष/महिला), छात्रावासों, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर इस आशय के साथ कि आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त वार्डन (पुरुष/महिला), छात्रावासों, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर इस आशय के साथ सूचनार्थ है कि वे चीफ वार्डन से संपर्क कर, छात्रावासों को तत्काल रिक्त करवाना सुनिश्चित करें।
3. निज सचिव के माध्यम से मान. कुलपतिजी की ओर सादर सूचनार्थ।
4. निज सहायक के माध्यम से मान. कुलसचिवजी की ओर सादर सूचनार्थ।
5. नस्ती प्रति।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल